order Sheet [Contd]

re of 4000 OS /15-5P2 Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where Decessa

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री जा हुए सहित उनके अधिवक्ता श्री एक के का का का वावान उपा ।

आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री अंक देव सिंह िल्लीम 821/ उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।

यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम। का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत कि परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की कि जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आशेपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा संम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

पीटासीन अधिकारी खण्डेपीठ क0-18 एव विशेष न्यायाधीश विहात अधिनियमं गोहर, जिला भिगड